न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 80 / 2022
दायर दिनांक : 06 / 10 / 2022
निर्णय दिनांक : 06 / 10 / 2025

उनवान

1. रामलाल पिता वरदा ब्राहम्ण निवासी गुन्दलीखेड़ा तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़
2. भूमिधारी तहसीलदार एवं उप पंजीयक, भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच, वकील वादी

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र अंतर्गत धारा–88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से हैं :

यह है कि वादी ग्राम गुन्दलीखेड़ा तहसील भूपालसागर का रहने वाला है। गांव गुन्दली खेड़ा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में आ.सं. 300 रकबा 0.26 है. किस्म बिलानाम द्वितीय, आ.सं. 360 रकबा 0.49 है. बिलानाम बारानी द्वितीय कुल किता 2 रकबा 0.75 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजियात पर वादी का 40–50 वर्षों से व उससे पूर्व उसके पिता का कब्जा होकर काश्त कर रहे हैं और वादी लघुसीमान्त काश्तकार होकर गरीब व्यक्ति है जिसके पास परिवार का पालन पोषण करने हेतु पर्याप्त कृषि भूमि नहीं होने से उपरोक्त बिलानाम आराजियात 300 रकबा 0.26 है. किस्म बिलानाम द्वितीय व आ.सं. 360 रकबा 0.49 है. बिलानाम बारानी द्वितीय पर वादी काश्त कर अपना व परिवार का पालन पोषण कर रहा है। उक्त आराजियात का लगान भी वादी पिछले 40–50 वर्षों से अदा करता आ रहा है पूर्व में भी राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को उक्त आराजियात को खातेदारी अधिकार देने हेतु लिखित व मौखिक निवेदन किये गये इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लोक कल्याणकारी व राजस्व शिविर व रात्रि चौपालों में आवेदन प्रस्तुत किये लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वादी का उक्त आराजियात पर पिछले 50 वर्षों से कब्जा है जिसका लगान व धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार द्वारा जारी नोटिसों के आधार पर भी उक्त आराजी पर भी वादी का कब्जा मानते हुये नोटिस जारी किये गये और सम्वत 2056–73 की खसरा गिरदावरी वादी का काश्तकार के रूप में आराजी के रकबे में काश्त करना अंकित किया है उसके पहले से ही व बाद से ही अनवरत रूप से वादी फसल बो कर काश्त कर रहा है जिसका अंकन सम्वत 1956–73 से लेकर वर्तमान तक अलग अलग बोई गई फसलों का अंकन खसरा गिरदावरी में है जिससे रिकार्डेड वादी का कब्जा है। इसलिए उक्त आराजियात को वादी के नाम खातेदारी के अधिकार दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है व वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का भी अधिकारी है। इसलिए वादी को उक्त दोनों आराजियात में अंकित रकबे के खातेदारी अधिकार कब्जे अनुसार दिये जाकर खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती कराई जावे। वादी के कब्जे अधिकार में किसी प्रकार की कोई दखलअन्दाजी नहीं करे वादी को बेदखल नहीं करे इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द कराया जाना आवश्यक है। अगर पाबन्द नहीं कराया गया तो वादी को अपार क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा और वादी के आजीविका का एकमात्र यही साधन व आराजियात है। जिससे अपने परिवारजनों का पालन पोषण कर रहे हैं। प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने से किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है। प्रतिवादीगण राजकीय सेवक होकर लोक सेवक हैं इनके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पहले धारा 80 सीपीसी का विधिवत नोटिस दिया गया। लेकिन विदित अवधि व्यतीत होने के बाद [illegible] नहीं दिया गया इसलिए वाद पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि दिनांक 09.07.2022 को प्रतिवादी[illegible] बेदखल करने की कार्यवाही कर वादी के कब्जे पर जाकर बेदखली का असफल प्रयास किया [illegible] का कारण पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है। पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादपत्र की कॉलम सं. 1 में वर्णित आराजियात में वादी के कब्जेशुदा आराजी पर से वादी का कब्जा नहीं हटावे तथा न ही उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचावे तथा प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजियात संबंधी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं करे ऐसा कार्य स्वयं नहीं करे न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारी, नौकर एजेन्ट परिवारजन से ही करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.30 15:22:29 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। बाद सम्मन तामिल पैरोकार सरकार उपस्थित आऐ। वकील वादी ने साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन करने पर साक्ष्यवादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 06.10.2025 को बंद की गई।

वकील वादी ने सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। वकील वादी एवं उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ खातेदारी अधिकार की घोषणा की जान का निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने एडवर्स पजेशन के अनुसार खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित नहीं होना बताया।

हमने पत्रावली, उपलब्ध रिकार्ड, हाल–साबिक जमाबंदी का अवलोकन किया। वकील वादी के द्वारा सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन करने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वकील वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने बहस उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात वादी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिचार करने से वादी अपना वाद अपने पक्ष में साबित नहीं करा पाया है। अतः वादी का वाद अंर्तगत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर ! ला–चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.30 15:22:29 IST
Reason: SelfAttested